प्रेस नोट
दिनांक- 20.07.2022
सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस
“मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा कड़ी पैरवी करके दुष्कर्म के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 14 वर्ष का कठोर कारावास व 22 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गई।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री इलामारन जी के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार पाण्डेय के पर्यवेक्षण में महिला संबन्धी अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 128/16 धारा 376,504,506 भादवि में अभियुक्त महेश कुमार पुत्र संतराम नि0 भेटुआ थाना अमेठी जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय ए.एस.जे./एफ.टी.सी द्वितीय सुल्तानपुर द्वारा अभियुक्त को 14 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रूपया के अर्थदंड से दण्डित किया गया एवं धारा 504 व 506 भादवि में 01-01 वर्ष का कारावास व 01-01 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी मुकदमा उपरोक्त द्वारा दिनांक 11.02.2016 को समय 16:00 बजे की तहरीर सूचना के आधार पर वादी की 20 वर्षीय बहन को अभियुक्त महेश कुमार पुत्र संतराम नि0 भेटुआ थाना अमेठी जनपद अमेठी द्वारा धमकी देकर दुष्कर्म करने कि इस सूचना पर थाना अमेठी पर मु0अ0सं0 128/16 धारा 376,504,506 भादवि पंजीकृत करके विवेचना प्र0नि0 एस.के मिश्रा द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्या ए-31 दिनांक 08.04.2016 को मा0 न्यायालय में प्रेषित की गयी।